संख्या —/XIV–1/2008

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनॉक 27 मार्च 2008

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर राजकीय अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 7201/नियो0 /सहभागिता /2007–08 दिनांक 14.03.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर राजकीय अनुदान के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों एवं सामान्य कृषकों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण /दीर्घकालीन ऋण /आवास ऋणों पर लागू ब्याज दरों के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वहन किये वाले ब्याज दरों के अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु संलग्न पुनर्विनियोग रू0 155.58 लाख (रू0 एक करोड़ पचपन लाख अठावन हजार मात्र) की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) उक्त धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या 571/XIV–1/2007 दिनांक 28.11.2007 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना से महालेखाकार (लेखा) कार्यालय, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम व बाउचर संख्या लेखाशीर्षक तथा आहरण की तिथि सहित सूचित करने का उत्तरदायित्व निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड का होगा।

(3) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

(4) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि केवल इसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों पर देय ब्याज के राज्यांश के अनुदान के रूप में ही प्रतिपूर्ति की जायेगी तथा किसी ऐसे मद पर धनराशि व्यय न की जाय, जो योजना में स्वीकृत नहीं है।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाए, जिसके लिये स्वीकृत दी जा रही है। यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत

रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनके अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह या उसके अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

(7) उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा, तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न की जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/समक्ष अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है। वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जाय।

(8) उक्त योजना का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर तद्नुसार व्यय 31.03.2008 तक सुनिश्चित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करायेंगे।

उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या 18 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2425–सहकारिता–आयोजनागत –00–800–अन्य व्यय –13–सहकारी सहभागिता योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या–571(P)/XXVII /दिनांक 27.03.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

संख्याः– 246 /XIV–1/2008,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड, राज्य सहकारी बैंक लि0, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला सहायक निबन्धक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त सचिव/ महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(डा0 पी0एस0गुसांई)
अपर सचिव।

आय व्ययक प्रपत्र–बी.एम.–15 पुनर्विनियोग 2007–08

(पैरा–158)

शासनादेश संख्या 246 /XIV–1/2008 दिनांक 27 मार्च 2008 विभाग– सहकारिता विभाग, अनुदान संख्या–18 आयोजनागत

(धनराशि हजार रू0 में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–4 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2425–सहकारिता–आयोजनागत 00– 800–अन्य 04–एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) 00– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 68700 19–वैद्यनाथन कमेटी की संस्तुतियॉ लागू करना 00– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 10000	49572	10657	8471 10000	2425–सहकारिता आयोजनागत 00– 800–अन्य व्यय 13–सहकारी सहभागिता योजना 00– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायकता 15558	60558	2913	योजना के अन्तर्गत व्यय को दृष्टिगत रखते हुऐ मांग प्रस्तावित
योग	**49572**	**10657**	**18471**	**15558**	**60558**	**2913**	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156, में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लघन नही होता है।

(डॉ0पी0एस0गुंसाई)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–4
संख्या–57/(1)/ XXVII/2008
देहरादून दिनांक 27 मार्च, 2008
पुनर्विनियोग स्वीकृत

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव, वित्त

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा)
उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।

संख्याः–946/XIV–1/2008 दिनांक 27 मार्च 2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23–लक्ष्मीरोड देहरादून।
7. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
9. वित्त अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।

(डॉ0पी0एस0गुंसाई)
अपर सचिव।